राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.1803 / पीएफ / संस्था / बीमा / 00971 / दिनांक : 08-02-2024

आदेश 433

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के माध्यम से अधीनस्थ कार्यालय हेतु चयनित निम्नांकित अभ्यर्थी को प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग, जयपुर के पत्रांकःप.1(6)प्र0सु0 / अनु–3 / 2017 जयपुर, दिनांक 31.10.2023 के अनुसरण में राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत **कनिष्ठ सहायक** के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प0 15(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार **दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee)** के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/– रू प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–05 पर निम्नलिखित शर्तो पर एतदद्वारा नियुक्त किया जाकर पदस्थापित किया जाता है–

क्र ण्सं ए	मेरिट क्रमांक	रोल न.	नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	पिता का नाम श्री	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल
1	3618	745735	HEMANT KUMAR VAISHNAV	RAMPRASAD	16.08.1993	BC	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. अभ्यर्थी को 15 दिवस में कार्यग्रहण(Duty Joining) करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में अभ्यर्थी कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर देवें । निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से **कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र** भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थी वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(6)एफडी / रूल्स / 2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी / रूल्स / 2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफडी / रूल्स / 2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायलय में की गई एस.एल.पी 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्ययीन होगा।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश स्वतः ही लागू होंगे ।उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा परिलाभ देय होंगे।
5. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11 / एसटी एससी ओबीसी एसबीसी / जा.प्र.प. / सामान्यअवि / 2015 / 54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों / सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. **नियमित आपराधिक प्रकरण सं. 501 / 2014 राज. राज्य बनाम हेमन्त व अन्य में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, अजमेर के निर्णय दिनांक 12.04.2023 द्वारा श्री हेमन्त कुमार वैष्णव पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी गठिया, तहसील मेड़ता सिटी, पुलिस थाना गोठन, जिला नागौर को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए धारा 420, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया गया है। अतः इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।**
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण–पत्र सत्य हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज / सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव [illegible] के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

RajKaj Ref
5390517

Signature valid
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Director
Date: 2024.02.08 10:55:31 IST
Reason: Approved

8. इन्हें परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.15(1)एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची–4 में उल्लेखित शर्तो के अनुसरण में रूपये 14600/– (फिक्स) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
9. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई **वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।**
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
11. इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर निर्धारित रनिंग पे बेण्ड 5200–20200 (पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या 5) सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
12. चयनित परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–
    1. **पुलिस चरित्र सत्यापन 2. सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र** 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, 6. दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र, कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर, सत्यापित प्रतियां(एक सेट) प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत)
निदेशक

क्रमांक : प.1803/पीएफ/संस्था/बीमा/00971/8126-137

दिनांक : 08-02-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सूचनार्थ।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.1(6)प्र0सु0/अनु–3/2017 जयपुर, दिनांक 31.10.2023 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर।
7. उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि **बिन्दु संख्या** 15 की पालना सुनिश्चित करें।
8. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. केडर स्ट्रैंथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारण लिपिक, मुख्यालय, जयपुर।
10. सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी ।
11. निजी पत्रावली/ संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Director
Date: 2024.02.08 10:55:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5390517